उपस्थिति – श्री गौरी शंकर

न्यायालय–सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0–197 / 1998

डॉ0 बिठल नाथ त्रिपाठी वगै0.....वादीगण।

बनाम्

बालकृष्ण त्रिपाठी वगै0 .....प्रतिवादीगण।

आदेश

22.04.2026 उभय पक्ष की हाजिरी है। पुकार पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 18.12.2023 अतंर्गत आदेश 22 नियम 03 दफा 151 सी0पी0सी0 को प्रचालित करते हुये वादी के विद्वान अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि इस वाद के वादी सं0 01 डॉ0 बिठल नाथ त्रिपाठी की मृत्यु दिनांक 06.03.2023 को हो चुकी है। अनुरोध करते हैं कि मृत वादी सं0 01 डॉ0 बिठल नाथ त्रिपाठी का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाय तथा मृत वादी सं0 01 के वारीसान उषा देवी, आलोक कृष्ण त्रिपाठी, तृप्ति त्रिपाठी का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाय जो न्यायहित में अति आवश्यक है। उक्त आवेदन दाखिल करने में हुए बिलम्ब की अवधी को क्षांत करने हेतु लिमिटेशन 5 को आवेदन दिया गया है। अनुरोध करते है कि उक्त आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

प्रतिवादी के द्वारा आज तक उक्त आवेदन का प्रति–उतर दाखिल नही किया गया है। अतः प्रतिवादी को उक्त आवेदन पर प्रतिउतर दाखिल करने से बंचीत किया जाता है।

सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है तथा समय सीमा के अंतर्गत नहीं है जिसके लिए वादी द्वारा बिलम्ब की अवधी को क्षांत करने हेतु लिमिटेशन 5 को आवेदन दिया गया है। प्रतिवादीग को उक्त आवेदन पर प्रतिउतर दाखिल करने से बंचीत किया गया है। अतः बिलम्ब की अवधी को मो0 500 / – पॉच सौ रूपये पर क्षांत किया जाता है और वादी के तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 18.12.2023 अतंर्गत आदेश 22 नियम 03 दफा 151 सी0पी0सी0 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। मृत वादी सं0 01 डॉ0 बिठल नाथ त्रिपाठी का नाम कलमजद करने का आदेश दिया जाता है तथा मृत वादी सं0 01 के वारीसान उषा देवी, आलोक कृष्ण त्रिपाठी, तृप्ति त्रिपाठी का नाम प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया जाता है।

दिनांक–24.04.2026 सुनवाई हेतू ।

लेखापित

(गौरी शंकर)
सिविल जज सिनियर डिवीजन प्रथम,
डुमरॉव (बक्सर)